न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 107/15 निर्णय दिनांकः– 18–02–2020
(आरसीएमएस संख्या 2015/00203)

1. अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा रजि. द्वारा महासचिव रामसिंह बिश्नोई अ. भा. महासभा मुख्य कार्यालय मुख्यधाम भगवान जम्भेश्वर मंदिर मुकाम लिये लालसाथर मंदिर जम्भेश्वर भगवान लालासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 11–06–2015
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत सिंह बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व दिनांक 11–06–2015 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि ग्राम लालासर साथरी के पुराने खसरा नम्बर 26 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 197 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 135 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि मंदिर मूर्ति भगवान जम्भेवर महाराज के कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके खसरा नम्बर 26 के नये खसरा नम्बर 53

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रकबा 0.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 135 के नये खसरा नम्बर 437 रकबा 1.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.01 हेक्टर किता 4 रकबा 1.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 रकबा 11. 57 हेक्टर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.40 हेक्टर किता 2 रकबा 11.94 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 197 बीघा 14 बिस्वा नये खसरा नम्बर 12 रकबा रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 6.91 हेक्टर, खसरा नम्बर 439 रकबा 14.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 441 रकबा 26.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 442 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.50 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 49.70 हेक्टर भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। परन्तु गिरदावरियों में अंकन नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु कई बार निवेदन किया जाता रहा है परन्तु राजस्व अमला द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि का राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया। जिसकी रिकार्ड दुरूस्ती व जमाबन्दी में अंकन करने हेतु दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि को सक्षम धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि औरण की भूमि होने व आस–पास के पशुधन की चारागाह की भूमि के रूप में उपयोग हो रही है जिसे किसी एक संस्था के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट को विधिवत रूप से कब्जे काश्त की भूमि थी जिसकी धोषणा हेतु वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही किसी प्रकार की

कोई साक्ष्य ली गई ना ही अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। केवल मात्र कैम्प कोर्ट का सहारा लेते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट के विधिक अधिकारों पर कुठाराधात किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया ही यह साबित होता है कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे दावे की प्रकिया को अपनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि गैरमुमकिन औरण रिकार्ड भूमि है। जिसको किसी संस्था विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91 व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 व 140 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि ग्राम लालासर साथरी के पुराने खसरा नम्बर 26 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 136 रकबा 197 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 135 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि मंदिर मूर्ति भगवान जम्भेवर महाराज के कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके खसरा नम्बर 26 के नये खसरा नम्बर 53 रकबा 0.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 135 के नये खसरा नम्बर 437 रकबा 1.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.01 हेक्टर किता 4 रकबा 1.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 रकबा 11.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.40 हेक्टर किता 2 रकबा 11.94 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 197 बीघा 14 बिस्वा नये खसरा नम्बर 12 रकबा रकबा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0. 15 हेक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 6.91 हेक्टर, खसरा नम्बर 439 रकबा 14.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 441 रकबा 26.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 442 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.50 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 49.70 हेक्टर भूमि पुनः भगवान श्री जम्भेश्वर मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज करवाने व राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र अदालत मातहत द्वारा खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट कीकब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अर्से–दराज से कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसको पुनः भगवान श्री जम्भेश्वर मंदिर मूर्ति लालासर स्थित जरिये संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के नाम दर्ज करवाने व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का वह अधिकारी है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में स्टेट का जवाब प्राप्त किया गया। स्टेट के जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन औरण दर्ज भूमि है। जिस पर आस–पड़ौस के सभी ग्रामों के पशु–पशी चारागाह के रूप में काम में लेते है। ऐसीस्थिति मं उक्त भूमि किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था विशेष के नाम दर्ज नहीं की जा सकती। वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन औरण व जोहड़ पायतान दर्ज है भूमि है।। प्रकरण में अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट अर्थात मंदिर श्री जम्भेवर महाराज अथवा अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का कब्जा काश्त रहा हो व अपीलांट/वादी के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11–06–2015 उपखण्ड अधिकारी, नोखा यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 18–02–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 15:35:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: